

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय आदेश

लिछमा कुमारी व्याख्याता भुगोल, राउमावि. सिंगरावट (धोद) सीकर के द्वारा राजस्थान सेवा नियम-08 में अभिलिखित प्रावधानानुसार निर्धारित कार्यवाही/शर्तों को पूर्ण करने के पश्चात् प्रस्तुत अभिलेखों (राज-पत्र, समाचार पत्र व शपथ-पत्र) के आधार पर अपना नाम लक्षिता चौधरी परिवर्तित किया है।

अतः लिछमा कुमारी, व्याख्याता भुगोल, राउमावि. सिंगरावट (धोद) सीकर के राजकीय सेवा संबंधित समस्त अभिलेखों में अंकित नाम लिछमा कुमारी के स्थान पर लक्षिता चौधरी करने की विभागीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भविष्य में लिछमा कुमारी संबंधित राजकीय आदेश/कार्यों में परिवर्तित नाम लक्षिता चौधरी संबोधित/जारी किये जावें।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-5/नाम-उपनाम परि./2009/308 दिनांक 31/08/2020
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा.....।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी.....।
3. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता/एसीआर/एबी, ओएसी प्रभाग को प्रति प्रेषित कर लेख है कि उक्त कार्मिक (आरपीएससी. 2013 व्याख्याता-भूगोल, मैरिट क्रमांक 287) की उक्तानुसार की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित है।
4. संबंधित संस्था प्रधान राउमावि. सिंगरावट (धोद) सीकर।
5. संबंधित कार्मिक
6. निजी /रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर